

(1)

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)-:: विविध आदेश ::-

क्र.- 37 / सी0जे0एम0 / 2024

सिवनी, दिनांक:-01 / 04 / 2024

मैं तेज प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में समय 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करता हूँ तथा यदि रिमाण्ड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, तो उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा।

माह अप्रैल एवं मई 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी

जिला मुख्यालय सिवनी -

माह अप्रैल 2024

क्र0	न्यायिक अधिकारी प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्री विक्रम सिंह डाबर, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	28/04/2024
2.	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	09/04/2024
3.	श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	11/04/2024
4.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	सुश्री पायल परमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	14/04/2024
5.	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	21/04/2024
6.	श्रीमती अर्चना यादव, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	07/04/2024
7.	सुश्री पायल परमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री विक्रम सिंह डाबर, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	17/04/2024

माह मई-2024

क्र0	न्यायिक अधिकारी प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	रिमाण्ड दिनांक
8.	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	12/05/2024
9.	श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	05/05/2024
10.	श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्रीमती अर्चना यादव, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	18/05/2024
11.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	23/05/2024
12.	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	सुश्री पायल परमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	26/05/2024
13.	सुश्री पायल परमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	19/05/2024

1/4/24  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सिवनी (म.प्र.)

(2)

तहसील लखनादौन, जिला सिवनी -

माह अप्रैल-2024

क्र०	न्यायिक अधिकारी प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	07/04/2024
2.	श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	09 & 11/04/2024
3.	श्रीमती अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	21 & 28/04/2024
4.	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	14 & 17/04/2024

माह मई-2024

क्र०	न्यायिक अधिकारी प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	18 & 05/05/2024
2.	श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	12/05/2024
3.	श्रीमती अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	26/05/2024
4.	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	19 & 23/05/2024

यदि किसी पर्याप्त कारण/ठोस कारण से प्रथम प्रभार के पीठासीन अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त नियत रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को उपस्थित होने में असमर्थ/अनुपस्थित रहते हैं, तब द्वितीय प्रभार के पीठासीन अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य निष्पादित किया जावेगा।

- यदि मुख्यालय सिवनी के प्रथम प्रभार एवं द्वितीय प्रभार के पीठासीन अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण/ठोस कारण से उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं या उक्त नियत दिनांक को अनुपस्थित रहते हैं, तो उक्त नियत दिनांक का रिमाण्ड ड्यूटी कार्य मुख्यालय सिवनी में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारी(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- यदि तहसील मुख्यालय लखनादौन के प्रथम प्रभार एवं द्वितीय प्रभार के पीठासीन अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण/ठोस कारण से उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं या उक्त नियत दिनांक को अनुपस्थित रहते हैं, तो उक्त नियत दिनांक का रिमाण्ड ड्यूटी कार्य तहसील मुख्यालय लखनादौन में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- तहसील मुख्यालय घंसौर एवं तहसील मुख्यालय केवलारी में माह अप्रैल एवं मई-2024 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य उक्त तहसील न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
- रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 द०प्र०सं० के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 द०प्र०सं० के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।

14/5/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सिवनी (घ.प्र.)

6. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी द्वारा किया जावेगा।
7. यदि किसी कारणवश नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो उस तिथि का सिवनी मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य माह अप्रैल-2024 में सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी तथा माह मई-2024 में श्रीमती अर्चना यादव जे.एम.एफ.सी. सिवनी निष्पादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील मुख्यालय लखनादौन में माह अप्रैल-2024 में श्रीमती अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन तथा माह मई-2024 में श्रीमती श्वेता परते तिवारी जे.एम.एफ.सी. लखनादौन निष्पादित करेंगे।
8. तहसील न्यायालय घंसौर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमाण्ड ड्यूटी के अनुसार तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। यदि किन्ही विशेष परिस्थितियों/ठोस कारण से तहसील न्यायालय घंसौर एवं तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में उक्त दोनों तहसील न्यायालयों का रिमाण्ड कार्य जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
9. तहसील न्यायालय केवलारी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमाण्ड ड्यूटी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।



(तेज प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिवनी (म०प्र०)

पृ.क्र.-.....( )/सी.जे.एम./2024

सिवनी, दिनांक:-01/04/2024

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी की ओर सूचनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिवनी जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
- जिला नाजिर, जिला न्यायालय सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
- सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम जिला न्यायालय सिवनी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।

(तेज प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिवनी (म०प्र०)